प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1166/चार-423 दिनांक 11 जुलाई, 2002

विषय- लेखपत्रों के निबंधन पर स्थानीय आदेशों द्वारा रोक लगाया जाना।

महोदय,

शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि परगनाधिकारी बहेड़ी, बरेली द्वारा प्रलेखों के निबंधन करने पर रोक लगा दी गयी है जबकि इस संबन्ध में पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि निबंधन प्रक्रिया के संबंध में प्रशासनिक आदेश निबंधन अधिनियम / नियम, स्टाम्प अधिनियम / नियम को ध्यान में रखकर ही पारित किया जाय। निबंधन अधिनियम, 1908 में अन्तरण पत्र के पंजीकरण पर रोक लगाए जाने का कोई प्राविधान नहीं है फिर भी जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के आदेश पारित किये जा रहे हैं। इससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-एस0आर0-3598(1) /दस-82201(33)/81 दिनांक 25, 1983, मुख्यालय के अ0शा0 पत्र सं0-370/ चार -423 दिनांक 24-1-86 एवं पत्र संख्या-4630/चार-423 दिनांक- 2-6-1990 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि जिले स्तर पर विक्रय पत्रों के निबंधन पर प्रशासनिक आदेश द्वारा कोई रोक न लगायी जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में विक्रय पत्रों के निबंधन में यदि कोई रोक लगायी गयी हो तो उसे तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें।

(पी0के0झा)
महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 1167-69/चार-423 दिनांक 11 जुलाई, 2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-561(1)/1-9-2002-36 एल0 सी0/2002 दिनांक 15-5-2002 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप भी अपने स्तर से इस आशय का परिपत्र समस्त जिलाधिकारियों को जारी करने का कष्ट करें।
2- समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिला निबंधक, उत्तर प्रदेश ।

(ओ0पी0 श्रीवास्तव)
अपर महानिरीक्षक निबंधन(विभागीय),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।